वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्याः पीआरओ 191/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 24/2020

प्रेस नोट

आज दिनांक 24.09.2020 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा थाना बड़ागांव का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान थाना कार्यालय में रखे अभिलेखो का रख रखाव एवं अभिलेखो का अवलोकन कर अद्यावधिक न किये गये रजिस्टरों के संबंध में नाराजगी व्यक्त करते हुए ***थानाध्यक्ष बड़ागांव से स्पष्टीकरण मांगा गया।*** थाना बड़ागांव क्षेत्र में प्रकाश में आये भूमि विवादों के संबंध में बार-बार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन न किये जाने व उक्त कार्य में कोई रुचि न लिये जाने पर नाराजगी व्यक्त की गयी। महिलाओं सम्बन्धित अपराधों व लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम (पाक्सो एक्ट) जैसे अपराधों को गम्भीरता से न लिये जाने व विवेचना में लापरवाही बरतने के कारण ***थानाध्यक्ष बड़ागॉव अजीत कुमार सिंह के विरूद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रारम्भिक जांच का आदेश देते हुए तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया***

उ0नि0 मो0 अहमद द्वारा चैन स्नैचिंग व लूट जैसी घटनाओं के अनावरण व लम्बित विवेचनाओं के निस्तारण में रूचि न लेने, लापरवाही बरतने आदि के कारण वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा ***उ0नि0 मो0 अहमद के विरूद्ध प्रारम्भिक जांच का आदेश देते हुए तत्काल प्रभाव से लाईन हाजिर कर दिया गया।***

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा वरिष्ठ पर्यवेक्षण अधिकारियों से भी पर्यवेक्षण में लापरवाही/शिथिलता के सम्बन्ध में 02 दिवस के अन्दर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 191/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 24/2020

प्रेस नोट

आज दिनांक 24.09.2020 को थाना सारनाथ के उ0नि0 अभय सिंह द्वारा मय हमराह पुलिस बल के मु0अ0सं0 557/2020 धारा-376AB/504/506 भादवि व 5M/6 पाक्सो एक्ट व 3(1)(w) SC/ST एक्ट में वांछित बाल अपचारी के घर ग्राम खालिसपुर कपिलधारा दबिश देकर नियमानुसार गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना सारनाथ पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- उ0नि0 अभय सिंह, का0 मिथुन कुमार थाना सारनाथ जनपद वाराणसी

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 192/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 24/2020

प्रेस नोट

थाना मण्डुवाडीह पुलिस द्वारा गैंगेस्टर के अभियुक्त गुरुचरण सिंह द्वारा अवैध गतिविधियों से अर्जित रु0-12,65,000/- (बारह लाख पैसठ हजार रुपये) की संपत्ति की जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी|

अन्तर्राज्यीय गैंग (आईएस -191) के सरगना मुख्तार अंसारी के सहयोगी तथा गैंग के सदस्यों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा अनवरत की जा रही कार्यवाही के अन्तर्गत आज दिनांक 24-09-2020 को थाना मंडुआडीह पुलिस द्वारा गुरु चरण सिंह पुत्र श्रीनाथ निवासी एन-1/65 ई शिव प्रसाद गुप्ता कॉलोनी थाना लंका वाराणसी की अवैध गतिविधियों से अर्जित

रु0-12,65,000/- (बारह लाख पैसठ हजार रुपये) की संपत्ति को जिलाधिकारी वाराणसी द्वारा प्राप्त आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 14 (1) के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी|

अभियुक्त गुरुचरण का सम्बन्ध मुख्तार अंसारी के निकट सहयोगी सलीम पुत्र अब्दुल निवासी बंग्ला नं0-51 छावनी बोर्ड थाना कैंट वाराणसी से रहा है| सलीम वर्ष 2007 में कौमी एकता दल के टिकट पर वाराणसी से विधानसभा का चुनाव लड़ चुका है तथा मुख्तार अंसारी के कई जघन्य अपराधों में जमानतदार भी रहा है |

दिनांक 28-06-2020 को थाना कैंट, थाना लंका, थाना शिवपुर में प्रतिबंधित मांगुर मछली के कारोबार का अवैध सिंडिकेट चलाने वाले अब्दुल सलीम व गुरुचरण सिंह सहित 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी करते हुए भारी मात्रा में थाई मांगुर मछली बरामद की गयी थी। दिनांक 16.07.2020 को सलीम के विरूद्ध थाना कैंट पर तथा दिनांक 07.08.2020 को गुरुचरण सिंह के विरूद्ध थाना लंका पर गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया|

इसके पूर्व जिलाधिकारी वाराणसी के आदेश के अनुपालन में दिनांक 14.08.2020 को उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 14 (1) के अन्तर्गत सलीम की रू0-26,33,188/- मूल्य की संपत्ति की जब्तीकरण की कार्यवाही की जा चुकी है |

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 193/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 24/2020

प्रेस नोट

थाना चौबेपुर पुलिस एवं एसटीएफ लखनऊ की संयुक्त टीम द्वारा भारी मात्रा में शराब बनाने का केमिकल स्प्रिट (कुल 6050 लीटर), 01 अदद अल्टो कार व 01 अदद कन्टेनर बरामद, एक अभियुक्त गिरफ्तार।*

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा चलाये जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी पिण्डरा के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 24.09.2020 को थाना चौबेपुर पुलिस एवं एसटीएफ लखनऊ की संयुक्त टीम को मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि कुछ लोग कंटेनर से अवैध शराब बनाने हेतु केमिकल (स्प्रिट) ले जा रहे है जो कुछ ही देर में रिंग रोड से निकलेंगे। मुखबिर की सूचना पर थाना चौबेपुर पुलिस एवं एसटीएफ लखनऊ की संयुक्त टीम संदहा तिराहे पर पहुँचकर उक्त ट्रक कंटेनर का इंतजार कर रही थी कि तभी रिंग रोड की तरफ से एक कंटेनर ट्रक, उसी के ठीक पीछे एक अल्टो कार आती हुई दिखाई दी, जिन्हे रुकने का इशारा करने पर गाजीपुर की ओर मुड़कर रिंग रोड की तरफ वापस भागने लगे। ट्रक व अल्टो कार का पीछा किया गया तो निर्माणाधीन टोल टैक्स प्लाजा के आगे अधूरी निर्माणाधीन सड़क की मिट्टी में कन्टेनर व अल्टो फंस गयी । कन्टेनर व अल्टो कार में बैठे चार व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर गाडी छोड़कर भाग गये। समय लगभग 04.30 बजे रजवाडी टोल टैक्स प्लाजा के आगे अधूरी निर्माणाधीन सड़क पर ही अल्टो कार के चालक को मौके पर पकड़ लिया गया। नाम पता पूछते हुए भागने का कारण पूछा गया तो उसने अपना नाम भैया लाल निषाद पुत्र स्व0 बैजू निषाद उम्र- 28 वर्ष निवासी ग्राम पटना थाना खानपुर जनपद गाजीपुर बताया तथा बताया कि हम लोग ट्रक कन्टेनर से शराब बनाने का केमिकल (स्प्रिट) ले जा रहे थे, इसी वजह से आप लोगों को देखकर भागे थे। ट्रक कन्टेनर की तलाशी ली गयी तो उसमे 50 लीटर के 105 ड्रम व 200 ली0 के चार ड्रम कुल 6050 लीटर केमिकल (स्प्रिट) बरामद हुआ।

सूचना पर आबकारी निरीक्षक द्वारा मौके पर पहुँचकर ट्रक कन्टेनर से बरामदा कथित स्प्रिट की तीव्रता को अपने उपकरणों से मापा गया तो स्प्रिट की तीव्रता 94.88 % V/V पायी गयी तथा बरामद कथित स्प्रिट की अनुमानित बाजार मूल्य से होने वाली राजस्व क्षति (रु0-37,50,000/-) सैंतीस लाख पचास हजार रुपये बतायी गयी। अभियुक्तगणों द्वारा कूट रचित बिल्टी से नाजायज रूप से स्प्रिट का परिवहन किया जा रहा था। उक्त के सम्बन्ध में थाना चौबेपुर पुलिस द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा-60(2)/63 व धारा-420/467/468/471 भादवि पंजीकृत कर अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-*</u>

1. भैया लाल निषाद पुत्र स्व0 बैजू निषाद उम्र- 28 वर्ष निवासी ग्राम पटना थाना खानपुर गाजीपुर

<u>*बरामदगी का विवरण-*</u>

1. 50 लीटर के 105 अदद ड्रम व 200 लीटर के 04 ड्रम अवैध स्प्रिट कुल 6050 लीटर व एक अदद अल्टो कार व एक अदद कन्टेनर बरामद ।

<u>*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-*</u>

1.थानाध्यक्ष संजय त्रिपाठी, उ0नि0 कुंवर अंशुमान सिंह, का0 रोशन त्रिपाठी, का0 उपेंद्र यादव थाना चौबेपुर वाराणसी तथा एसटीएफ टीम लखनऊ यूनिट।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 193/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 24/2020

प्रेस नोट

दिनांक 23-09-2020 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के थाना सारनाथ स्थित पंचकोसी मार्ग के निरीक्षण के उपरान्त दिये गये निर्देशों के अनुपालन में आज दिनांक 24/09/2020 को पंचकोशी चौराहा थाना सारनाथ में नगर निगम की टीम, प्रभारी निरीक्षक थाना सारनाथ व चौकी प्रभारी पुराना पुल द्वारा मय पुलिस बल के सड़क किनारे दुकानदारों द्वारा किये गये अतिक्रमण को अभियान चलाकर सड़क के दोनों तरफ 30-30 फिट तक अतिक्रमण हटाया गया।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 194/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 24/2020

प्रेस नोट

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, गैर जरुरी तौर से होटल/गेस्ट हाऊस/दुकानें खुली रखने वाले संचालकों, कालाबाजारी करने वालों व राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन से सम्बन्धित नियमों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के

विरुद्ध सख्ती बरतते हुए आज दिनांक 24-09-2020 को विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए *कुल 55 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-151 सीआरपीसी* के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया तथा *99 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-188 चालानी रिपोर्ट व धारा-51 आपदा प्रबन्ध अधिनियम* के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों, 14 बार्डर प्वाइंट व 49 पुलिस नाकों पर सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए *कुल 2493 वाहनों का चालान, 34 वाहनों को सीज तथा 379 वाहनों से रु0-3,24,400/- समन शुल्क वसूल* किया गया।

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के आदेशानुसार आज दिनांक 24-09-2020 को जनपद वाराणसी राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन से सम्बन्धित नियमों का उल्लंघन करने वाले तथा बिना मास्क पहने घूम रहे व्यक्तियों के विरूद्ध अभियान चलाकर बिना मास्क धारण किये *कुल 1016 व्यक्तियों से रु0-51,850/- जुर्माना* जमा कराया गया।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 195/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 24/2020

प्रेस नोट

आज दिनांक 24-09-2020 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने एवं जनपद में कानून/शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु नवागन्तुक पुलिस उपाधीक्षक श्री नितेश प्रताप सिंह के जनपद में आगमन के फलस्वरुप निम्न पुलिस उपाधीक्षकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित सर्किल/शाखा का प्रभारी राजपत्रित अधिकारी नियुक्त किया गया है।

1. श्री नितेश प्रताप सिंह – क्षेत्राधिकारी – बड़ागॉव वाराणसी
2. श्री ज्ञान प्रकाश राय – क्षेत्राधिकारी –बड़ागॉव से क्षेत्राधिकारी- वीआईपी

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।